

प्रेषक,

महाबीर सिंह बिष्ट,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/
कोषाधिकारी,
पुरोला, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.uttarakhandforest.org/
फोन/फैक्स:-0135-2741607,2742641
ई-मेल:-ccfpfmua@gmail.com
तथा ccfpfm@rediffmail.com

देहरादून दिनांक 21 जनवरी 2012.

विषय- वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान सं0-30 (एस0सी0एस0पी0) के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 0203-"सिविल एवं सोयम वनों का विकास" (आयोजनागत योजना) के अंतर्गत चतुर्थ त्रैमास हेतु बजट-साख सीमा का आवंटन।

सन्दर्भ- शासनादेश सं0 2058/दस-2-2011-19(32)/2002 दिनांक 01 दिसम्बर 2011 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

विभाग की आयोजनागत पक्ष की उपरोक्त विषयक राज्य सैक्टर योजना के अंतर्गत संदर्भित शासनादेश से साख-सीमा मदों में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति ₹0 1,30,00,000/- (₹0 एक करोड़ तीस लाख हजार मात्र) के सापेक्ष पूर्व में जारी बजट/साख-सीमा के पश्चात अवशेष वित्तीय स्वीकृति ₹0 80,00,000/- (₹0 अस्सी लाख मात्र) का बजट-साखसीमा संलग्नक-1 के अनुसार जारी किया जाता है। कृपया सम्बन्धित स्टेट बैंक को साखसीमा जारी करें।

2- संलग्न शासनादेश तथा शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008 से जारी अधिसूचना-उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2008 व समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन करते हुए वित्तीय नियमों के अंतर्गत सक्षम स्तर से निर्धारित/अनुमोदित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जायेगा।

3- आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में मानकमदवार स्वीकृत बजट से अधिक व्यय न हो तथा स्वीकृत धनराशि के मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 में कार्यालयवार प्रत्येक माह की प्रथम तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(महाबीर सिंह बिष्ट)
वित्त नियंत्रक

संख्या: नि.1232 / 2-36(एस0सी0एस0पी0 / टी0एस0पी0) तददिनांकित

प्रतिलिपि मय संलग्नक के निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा),उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड,माजरा,देहरादून।

2- महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस,सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।

3- सचिव, वन एवं पर्यावरण तथा सचिव/अपर सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 एवं अपर सचिव, वित्त (अनुभाग-4) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड तथा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड।

7- आहरण वितरण अधिकारी/उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला। कृपया उपरोक्त उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों/नियमों के अन्तर्गत निर्धारित/अनुमोदित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाय।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

(महाबीर सिंह बिष्ट)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक: नि० 1232 / 2-36 (एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी०) दिनांक 21 जनवरी 2012 का संलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान सं०-30 (एस०सी०एस०पी०) के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन-01-
वानिकी-800-अन्य व्यय-0203-"सिविल एवं सोयम वनों का विकास योजना" (राज्य सैक्टर) अन्तर्गत चतुर्थ त्रैमास
हेतु बजट / साख-सीमा आवंटन

(धनराशि हजार ₹ में)

क० सं०	कार्यालय / प्रभाग का नाम	कोषागार / उपकोषागार	सी०सी०एल० कोड	कार्य विवरण	24-वृहद निर्माण		
					पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	2	3	4	5	8	9	10
1	उप निदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार	पुरौला	3304	समरोड-धौला 08 कि०मी० एवं हिम-पुजेली 03 कि०मी० हल्का मोटर मार्ग का सुदृढीकरण	5000	8000	13000
	योग-				5000	8000	13000

(वर्तमान आवंटन ₹ अरसी लाख मात्र)

(महावीर सिंह बिष्ट)

वित्त नियंत्रक

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 01 दिसम्बर, 2011

विषय:- अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष की (एस0सी0एस0पी0) अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत "जनपद उत्तरकाशी में गोविन्द वन्य जीव विहार के अन्तर्गत समरोड़-धौला 08 किमी0 एवं हिम-पुजेली 03 किमी0 हल्का मोटर मार्ग के सुदृढीकरण" हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन के प्रस्ताव/पत्र संख्या 583/XVII(1)/2009-59 (प्रकोष्ठ)/2008 दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 एवं तदक्रम में आपके पत्र संख्या नि-1009/2-36 दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 तथा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के पत्रांक-1553/3-6 दिनांक 08 मार्च, 2010 तथा आपके कार्यालय के पत्रांक नि-188/3-14(रा0यो0आ0 मूल्यांकन) दिनांक 03 अगस्त, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या-30 के आयोजनागत पक्ष की एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत राज्य सेक्टर योजना सिविल एवं सोयम वनों का विकास योजना के अन्तर्गत "जनपद उत्तरकाशी में गोविन्द वन्य जीव विहार के अन्तर्गत समरोड़-धौला 08 किमी0 एवं हिम-पुजेली 03 किमी0 हल्का मोटर मार्ग के सुदृढीकरण" कार्य हेतु टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित वित्तीय सीमा ₹154.05 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में ₹1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आगणन गठित कर उनपर नियमानुसार सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनाएँ एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
- (3) योजना/परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसूचित जाति के स्थानीय निवासियों की सहभागिता सहित उक्त ग्रामों एवं समूहों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाय.
- (4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
- (5) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
- (6) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निर्वर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फ़ॉल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किशतों में किया जाय.

PLAN
for
work (Part)
11/12/2011



क्रमशः :2

- (7) धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
- (8) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
- (9) मानक मर्दों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
- (11) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
- (12) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान सं०-30 (एस०सी०एस०पी०) के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 0203-“सिविल एवं सोयम वनों का विकास योजना” (राज्य सेक्टर) की निम्नलिखित मानक मर्दों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)			
क्र०सं०	मानक मर्द	बजट प्राविधान	निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति
1	24-वृहत निर्माण कार्य	80000	13000
	योग	80000	13000

(वर्तमान स्वीकृति ₹ एक करोड़ तीस लाख मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-129(P)/XXVII(4)/2011, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या-2058 (1)/X-2-2011, तद्विनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, देहरादून.
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव